गेल (इंडिया) लिमिटेड

हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण में भागीदार चयन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

ईओआई दस्तावेज सं.: गेल/एनडी/बीडी/हाइड्रोजन/ईओआई/2021

दिनांक: 26 नवंबर 2021

1. परिचय

गेल (इंडिया) लिमिटेड ("गेल") भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है, जिसमें अन्वेषण और उत्पादन, एलएनजी आयात, गैस ट्रांसमिशन एवं विपणन, गैस प्रोसेसिंग, पेट्रोरसायन, एलपीजी ट्रांसमिशन और नगर गैस वितरण शामिल हैं। गेल 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज (जीडीआर के रूप में) में सूचीबद्ध है।

गेल के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया http://www.gailonline.com देखें।

2. ईओआई के बारे में जानकारी

2.1. भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का एक केंद्र बनाना है। हाइड्रोजन के इस्तेमाल से न केवल भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता भी कम होगी।

2.2. ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने और उससे आगे बढ़ने के अपने मिशन के अनुरूप, गेल हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की तलाश कर रहा है। गेल भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र भी बना रहा है क्योंकि यह कार्बन मुक्त ईंधन के साथ गेल के प्राकृतिक गैस व्यवसाय का पूरक भी है।

2.3. गेल की योजना एक विशेष प्रयोजन प्रणाली (एसपीवी) को शामिल करके भारत में उपयुक्त स्थान पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षमता का इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की है। साथ ही, गेल किसी मौजूदा कंपनी में इक्विटी प्राप्त करने पर भी विचार कर सकता है जो वर्तमान में इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए परिचालन/ निर्माण चरण में है (इसके बाद "परियोजना" के रूप में उल्लिखित)।

2.4. इस संबंध में गेल एसपीवी या मौजूदा कंपनी के माध्यम से उक्त विनिर्माण परियोजना को लागू करने और संचालित करने के लिए इक्विटी भागीदार के साथ जुड़ने की संभावना तलाश रहा है। गेल एसपीवी/ मौजूदा कंपनी में न्यूनतम 26% की इक्विटी रखेगा।

2.5. इस पृष्ठभूमि में, गेल भारत में एक या अधिक स्थानों पर परियोजना की स्थापना के लिए किसी भारतीय/ वैश्विक कंपनी/ संबद्ध कंपनी/ परिसंघ (इसके बाद **आवेदक** के रूप में उल्लिखित) से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

आवेदक एक परिसंघ बनाकर ईओआई में भाग ले सकता है। परिसंघ के मामले में प्रमुख भागीदार को इस ईओआई में भाग लेना चाहिए।

2.6. इस ईओआई का मूल विवरण इस प्रकार है:

प्रस्तावित भूमिकाएं

ईओआई डाउनलोड	ईओआई को नीचे दी गई किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है: (i) www.gailonline.com (ii) जीएएल की निविदा वेबसाइट - www.gailtenders.in (iii) सरकारी सीपीपी पोर्टल - https://eprocure.gov.in
ईओआई-पूर्व बैठक की तारीख और समय	03.12.2021, दोपहर 3 बजे
ईओआई-पूर्व बैठक	एमएस टीम लिंक: बैठक में भाग लेने के लिए यहां क्लिक करें
ईओआई प्रस्तुति मोड	ई-मेल के माध्यम से: eoi_hydrogen@gail.co.in
ईओआई प्रस्तुत करने की नियत तिथि	17.12.2021, शाम 5 बजे
ईओआई वैधता	ईओआई प्रस्तुत करने की नियत तारीख से 6 महीने

3. प्रस्तावित भूमिकाएं

3.1 प्रस्तावित एसपीवी/ मौजूदा कंपनी और उसके इक्विटी भारीदारों, जैसा भी मामला हो, की व्यापक भूमिकाओं में निम्नलिखित शामिल होगा, जो केवल निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है -

(i) प्रस्तावित इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण परियोजना में इक्विटी निवेश
(ii) परियोजना वित्त-पोषण सुनिश्चित करना
(iii) प्रौद्योगिकी भागीदार(रों) या लाइसेंसर(रों) /इंजीनियरिंग सलाहकार(रों)/ पर्यावरण सलाहकार(रों)/ ईपीसी ठेकेदार(रों) आदि, जैसा भी लागू हो, का चयन
(iv) परियोजना विकास गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा करना तथा समय-सीमा के अनुसार परियोजना निष्पादन सुनिश्चित करना
(v) संयंत्र ओ एंड एम का प्रबंधन
(vi) भूमि की व्यवस्था के साथ-साथ परियोजना के लिए सांविधिक अनुमोदन/ स्वीकृतियां
(vii) प्रोत्साहन, नीतिगत सलाह प्राप्त करने में केंद्र/ राज्य सरकारों के साथ संपर्क; और
(viii) पक्षकारों (अर्थात् इक्विटी भागीदार और गेल) या उनके सहयोगियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त मूल्य पर कैप्टिव उपयोग के विकल्प के साथ उत्पाद(दों) का विपणन।

3.2 यह नोट किया जाए कि प्रस्तावित भूमिकाओं की उपर्युक्त सूची अनंतिम है और इस पर बाद के चरण में इक्विटी भागीदार के परामर्श से परस्पर सहमति बनाई जाएगी।

4. दस्तावेज और मूल्यांकन प्रस्तुत करना

क. आवेदक को इस ईओआई पर अपनी प्रतिक्रिया के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए:

1. प्रपत्र-I के अनुसार आवरण-पत्र
2. प्रपत्र-II के अनुसार आवेदक की सूचना और तकनीकी डेटा
3. आवेदक के निगमन का प्रमाण-पत्र

ख. आवेदक को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के आदेश (सार्वजनिक खरीद सं. 1) दिनांक 23.07.2020, आदेश (सार्वजनिक खरीद सं. 2) दिनांक 23.07.2020 और आदेश (सार्वजनिक खरीद सं. 3) दिनांक 24.07.2020 के तहत भारत के साथ सीमा साझा करने वाले बोलीदाता से खरीद से संबंधित प्रावधानों को पूरा करना चाहिए है। इस संबंध में इस दस्तावेज के प्रपत्र-III के अनुसार एक वचनपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ग. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ईओआई का मूल्यांकन मोटे तौर पर प्रौद्योगिकी, पूंजी और परिचालन लागत, समय-सीमा, क्षेत्रीय फुटप्रिंट, मापनीयता और विश्वसनीयता के संबंध में ईओआई के साथ साझा की गई जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

5. <u>ईओआई प्रस्तुत करने पर सामान्य निर्देश</u>

क. प्रत्येक संगठन केवल एक बोली प्रस्तुत कर सकता है - या तो एक पक्षकार के रूप में (एक ही संगठन के मामले में) या परिसंघ के प्रमुख सदस्य के रूप में (पक्षकार के दो या तीन सदस्यों का परिसंघ होने के मामले में)। यदि कोई संगठन एक से अधिक बोली प्रस्तुत करता है, तो उसकी सभी बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी।

ख. ईओआई दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकृत व्यक्ति बोर्ड का निदेशक/ सीएंडएमडी/ अध्यक्ष/ सीईओ/ सीएफओ/ सीएस या आवेदक के बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति होना चाहिए। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर न किए गए दस्तावेजों और/या इस ईओआई में दर्शाए गए अनुसार मुहर न लगाए जाने पर इसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

ग. दस्तावेजों की जांच और मूल्यांकन में सहायता करने के लिए, गेल ईओआई पर अपनी प्रतिक्रिया के भाग के रूप में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज/ जानकारी के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है।

घ. स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, से प्राप्त किया जा सकता है: महाप्रबंधक (बीडी) के माध्यम से, दूरभाष: 011-26182955-2733 और ई-मेल: asiva@gail.co.in

ङ. ईओआई का आशय अपनी प्रस्तावित इलेक्ट्रोलाईजर विनिर्माण परियोजना के लिए गेल के साथ सहयोग करने के लिए संभावित आवेदकों से रुचि प्राप्त करना है। गेल को इस ईओआई प्रक्रिया के माध्यम से या एक अलग निविदा के माध्यम से चुने गए आवेदकों के बीच प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया के द्वारा परियोजना को लागू करने का अधिकार है। गेल को बिना कारण बताए किसी भी समय ईओआई प्रक्रिया समाप्त करने का अधिकार भी है।

च. यदि अपेक्षित प्रारूप में प्रस्तुत सूचना अधूरी/ गलत/ भौतिक रूप से असंगत/ सशर्त पाई जाती है, तो गेल को ईओआई को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, गेल के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी ईओआई को अस्वीकार करने का भी अधिकार है।

प्रपत्र-I

आवरण-पत्र के लिए प्रारूप

(आवेदक द्वारा अपने शीर्ष-पत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

गेल (इंडिया) लिमिटेड
गेल भवन
16, भीकाजी कामा प्लेस
आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
भारत

विषय: ईओआई दस्तावेज सं.: गेल/एनडी/बीडी/हाइड्रोजन/ईओआई/2021 दिनांक................. के लिए रुचि की अभिव्यक्ति

प्रिय महोदय,

हम, ________________________________ (आवेदक का नाम) संबंधित ईओआई की विस्तार से जांच करने और इसे समझने के बाद, इस बात की पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त ईओआई के प्रत्युत्तर में न तो हमने और न ही हमारी किसी भी मूल कंपनी/ संबद्ध/ अनंतिम मूल कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रतिक्रिया के अलावा अन्य प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है।

1. हम गेल द्वारा जारी ईओआई के लिए अपनी बिना शर्त स्वीकृति देते हैं, जिसमें इसके संशोधन और/या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, शामिल हैं जिसकी प्राप्ति एतद्द्वारा दी जाती है। ईओआई की हमारी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में, हमारे द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं और मुहर लगाई गई है और दस्तावेज संलग्न है। हम इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईओआई के प्रावधान हम पर बाध्यकारी होंगे।

2. हमने ईओआई के प्रावधानों और प्रारूपों के अनुसार, अपने दस्तावेज पूरी तरह से बिना किसी विचलन, शर्तों और किसी भी अनुमानों या टिप्पणियों का उल्लेख किए बिना प्रस्तुत किए हैं।

3. हम एतदद्वारा इस बात से बिना शर्त और निश्चित रूप से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि गेल द्वारा ईओआई से संबंधित या उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में किया गया निर्णय हम पर बाध्यकारी होगा। हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से ईओआई प्रक्रिया के संबंध में किसी भी और सभी दावों को माफ करते हैं। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा या विवाद नहीं है, जो ईओआई के संबंध में दायित्वों के तहत भाग लेने या कार्य करने की हमारी क्षमता को वास्तव में प्रभावित करता हो।

4. हमारे दस्तावेज में प्रस्तुत जानकारी पूर्ण है, जो पूरी तरह से ईओआई में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप है तथा हमारी उत्कृष्ट जानकारी और समझ के अनुसार सही है। हम अपने दस्तावेज में किसी भी त्रुटि या चूक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

5. हम पुष्टि करते हैं कि हमारे दस्तावेज की सभी निबंधन एवं शर्तें प्रतिक्रिया समय-सीमा से छह (06) माह की अवधि के लिए स्वीकृति हेतु वैध हैं।

(हस्ताक्षर)
(अधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम)

दिनांक:

स्थान: (कंपनी की मुहर)

प्रपत्र-II

आवेदक द्वारा अपने शीर्ष-पत्र पर प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

1. कंपनी/ परिसंघ/ संबद्ध कंपनी के प्रमुख भागीदार/ प्रतिनिधियों का नाम (जो लागू न हो उसे काट दें):
2. कंपनी/ परिसंघ/ संबद्ध कंपनी/ प्रतिनिधियों की कानूनी स्थिति:
3. कंपनी/ परिसंघ/ संबद्ध कंपनी/ प्रतिनिधियों का संक्षिप्त विवरण, जिसमें उनके व्यावसायिक समूह/ सहायक कंपनियों का विवरण शामिल है:
4. निगमन की तारीख:
5. आवेदक के संपर्क व्यक्ति का विवरण नीचे दिया जाता है:
   (i) नाम:
   (ii) पदनाम:
   (iii) डाक पता:
   (iv) संपर्क नंबर:
   (v) ई-मेल आईडी:
6. आवेदक द्वारा अपनी मौजूदा कंपनी में वांछित इक्विटी %, जैसा लागू हो, एसपीवी में अधिग्रहित/ प्रस्तावित किया जाना है (जो लागू न हो उसे काट दें):
7. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

   तकनीकी - इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण में आवेदक की साख के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य जैसे अनुभव/ संदर्भ सूची, ग्राहक प्रमाण-पत्रों की प्रतियां, प्रौद्योगिकी भागीदार के साथ सहयोग/ अनुबंध (यदि लागू हो), इंजीनियरिंग और निष्पादन क्षमताएं, गुणवत्ता प्रत्यायन आदि।

   वित्तीय - पिछले 3 वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (वार्षिक रिपोर्ट), क्रेडिट रेटिंग, बाजार हिस्सेदारी (घरेलू/ अंतर्राष्ट्रीय) आदि की प्रतियां।
8. परियोजना को लागू करने की समय-सीमा के साथ इलेक्ट्रोलइसर प्रौद्योगिकी का सुझाव देना।
9. सभी प्रमुख घटकों की लागत विवरण सहित (i) 200 मेगावाट (ii) 500 मेगावाट (iii) 1000 मेगावाट और (iv) 2000 मेगावाट की वार्षिक इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी निवेश और परिचालन लागत।
10. ईओआई से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज।

(हस्ताक्षर)
(अधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम)

दिनांक:
स्थान: (कंपनी की मुहर)

प्रपत्र-III

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले बोलीदाता से खरीद

1 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश (सार्वजनिक खरीद सं.1) दिनांक 23.07.2020, आदेश (सार्वजनिक खरीद संख्या 2) दिनांक 23.07.2020 और आदेश (सार्वजनिक खरीद संख्या 3) दिनांक 24.07.2020 देखें। यह वेबसाइट https://doe.gov.in/procurement-policy-divisions पर उपलब्ध हैं।

2. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा यदि बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है। सक्षम प्राधिकारी के विवरण के लिए आदेश (सार्वजनिक खरीद सं. 1) दिनांक 23.07.2020 का अनुलग्नक-I देखें।

इसके अलावा, उपर्युक्त उन देशों के बोलीदाताओं (भले ही भारत के साथ भूमि सीमा को साझा करते हों) पर लागू नहीं होगा, जिन्हें भारत सरकार ने उधार दिया है या जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है। उन देशों की अद्यतन सूचियां जिन देशों को उधार दिया गया है या जिनमें विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में दी गई हैं।

3. **इस प्रावधान के उद्देश्य से "बोलीदाता"** (कुछ संदर्भों में 'निविदाकर्ता', 'परामर्शदाता' 'विक्रेता' या 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) का अर्थ है कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें किसी परिसंघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य (जो कई व्यक्तियों, या फर्मों या कंपनियों का एक परिसंघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो यहां ऊपर उल्लिखित बोलीदाताओं के विवरणों में से किसी में नहीं आता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित कोई भी एजेंसी, शाखा या कार्यालय शामिल है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग ले।

4. इस प्रयोजन के लिए **"भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता"**:

क) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत इकाई; या
ख) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत इकाई की सहायक कंपनी; या
ग) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से काफी हद तक नियंत्रित कोई इकाई; या
घ) ऐसी इकाई, जिसका लाभकारी मालिक ऐसे देश में स्थित है; या
ङ) ऐसी इकाई का कोई भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
च) कोई प्राकृतिक व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या
छ) कोई परिसंघ या संयुक्त उद्यम जहां परिसंघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपर्युक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

5. उपर्युक्त (4) के प्रयोजन के लिए **"लाभकारी मालिक"** निम्नानुसार होगा:

i) यदि कोई कंपनी या सीमित देयता साझेदारी के मामले में, लाभकारी मालिक स्वाभाविक व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ काम कर रहा है, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति(यों) के माध्यम से, कोई नियंत्रण स्वामित्व हित रखता है या जो अन्य साधनों के माध्यम से नियंत्रण करता है।

स्पष्टीकरण -

क) "स्वामित्व हित को नियंत्रित करने" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या मुनाफे का पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या पात्रता;

ख) "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों के आधार शामिल हैं;

ii) एक साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक एक स्वाभाविक व्यक्ति है, जो चाहे अकेले या एक साथ काम कर रहा हो, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, साझेदारी की पूंजी या मुनाफे के पंद्रह प्रतिशत से अधिक की पात्रता का स्वामित्व रखता है;

iii) गैर-निगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक एक स्वाभाविक व्यक्ति है, जो, चाहे अकेले या एक साथ काम कर रहा हो, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, संपत्ति या पूंजी या ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या पात्रता रखता है;

iv) जहां किसी भी स्वाभाविक व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) के रूप में नहीं की जाती है, वहां लाभकारी मालिक एक प्रासंगिक स्वाभाविक व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का दर्जा रखता है;

v) ट्रस्ट के मामले में, लाभकारी मालिक(कों) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक हित रखने वाले लाभार्थियों तथा नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने वाले किसी अन्य स्वाभाविक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।

6. इस आदेश के प्रयोजन के लिए **"एजेंट"** वह व्यक्ति है जिसे दूसरे के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजित किया गया है, या जो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ सौदा करने के लिए किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करता है।

7. **बोलियों में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना:**

बोलीदाता इस संबंध में प्रपत्र-क के अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

यदि किसी बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार की जाती है, द्वारा दिया गया ऐसा प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है, तो यह बोली को तत्काल रद्द करने/ समाप्त करने और वेबसाइट-www.gailtenders.in पर उपलब्ध भ्रष्ट/ धोखाधड़ी/ सांठ-गांठ/ बलपूर्वक प्रथाओं के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का आधार होगा।

8. पंजीकरण, जहां भी लागू हो, बोलियां प्रस्तुत करने के समय और बोलियों की स्वीकृति के समय मान्य होना चाहिए। आपूर्ति के संबंध में अन्यथा निविदा द्वारा, आदेश देने के समय पंजीकरण मान्य होना चाहिए। यदि बोलीदाता को आदेश की स्वीकृति प्रदान करने के समय मान्य रूप से पंजीकृत किया गया था, तो अनुबंध के निष्पादन के दौरान पंजीकरण प्रासंगिक रूप से विचारणीय नहीं होगा।

प्रपत्र-क

शीर्ष-पत्र पर वचनपत्र

सेवा में
मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड

विषय:
ईओआई सं.:

प्रिय महोदय

हमने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले बोलीदाता से खरीद के प्रावधानों से संबंधित खंड को पढ़ा है, हम प्रमाणित करते हैं कि, बोलीदाता मैसर्स................................ ***(बोलीदाता का नाम):***

(i) ऐसे देश से नहीं है [ ]

(ii) यदि ऐसे देश से है, तो सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है। [ ]
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाए)

(बोलीदाता ऊपर उपयुक्त विकल्प पर (✓ या X) का निशान लगाएं।

हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि बोलीदाता मैसर्स_______ ***(बोलीदाता का नाम)*** इस संबंध में सभी आवश्यकताएं पूरी करता है और ईओआई के लिए विचार किए जाने का पात्र है।

स्थान: [बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]
दिनांक: नाम:
पदनाम:
मुहर: